(ङ) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का 100 प्रतिशत अतिरिक्त राशि के रूप मे जारी किया जाना, राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का अग्रिम के तौर पर जारी किया जाना, ओली के दस्तावेजों का मानकीकरण और वसूली संबंधी प्रक्रियाओं का सरलीकरण, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को विदेशी सहायता के प्रवाह में मध्यस्थता को समाप्त किया जाना और पोर्टफोलियो यौक्तिकीकरण जैसे कुछ उपाय हैं जो सरकार द्वारा सहायता के उपयोग को सुधारने के लिए किए गए हैं।

Employees of Delhi Doordarshan All India Radio

990. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) how many Group "D" employees of the offices of Delhi Doordarshan, and All India Radio have rendered more than 10 years' service in the posts;

(b) what are the reasons for not promoting Group "D" employees who have completed more than 10 years service to Group "C" posts;

(c) whether some of the Higher Secondary passed Group "D" employees of the above offices possess technical qualification like IIT certificates and still continue to work on daily wages for the last eight years; and

(d) if so, what is the number and what are the reason for not regularising them in each of the directorates?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K.P. SINGH DEO): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Hindi News Telecast on Doordarshan

991. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether the Hindi news telecast at 1930 hrs on Doordarshan are local news;

(b) if so, the reasons for giving much less time to the local news in this bulletin; and

(c) the steps taken to give more coverage of local news about the Government of Delhi for the benefit of the people of Delhi?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P. SINGH DEO): (a) Hindi news bulletin telecast at 1930 hrs from Delhi on its primary channel is a regional bulletin covering Delhi, Haryana and Himachal Pradesh.

(b) and (c) It is the endeavour of Doordarshan to cover all important events and developments in the region and the country during the day. Important events in the National Capital Region of Delhi are especially highlighted and given adequate coverage.

Meeting Between Cable TV Operators and DG Doordarshan

992. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether some Cable TV Operators of Delhi had met the Director General of Doordarshan recently;

(b) if so, what points were brought out by the operators in the meering; and

(c) the action Government have taken or propose to take thereon?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P. SINGH DEO): (a) Yes, Sir. A meeting with the Cable Operators was held on 28th July, 1994 with the Director General Doordarshan.

(b) At this meeting the restructured format of Doordarshan Regional Satellite Channels and DD-2 from 15th August, 1994 on C-Band Transponder and S-Band Transponder of INSAT-2B was discussed. The feasibility of Doordarshan starting a Hindi Movie Pay Channel and its distribution by the Cable Operators was also discussed.

(c) The Doordarshan Regional Language Satellite Channel and DD-2 have been restructured from 15th August, 1994. For the Movie Pay Channel a feasibility study is being conducted.

सेंसर बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति

993. श्री गोपाल सिंह जो० सोलंकी :
श्री टी. वेंकटराम रेड्डी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई स्थित राष्ट्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं ;

(ख) क्या उक्त बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है :

(ग) सरकार को उक्त बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में अभी तक किन-किन संसद सदस्यों से कितनी सिफारिशें प्राप्त हुई हैं ;

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और संसद सदस्यों द्वारा की गई सिफारिशों पर कुल कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं ; और

(ङ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं, अध्यापकों, लेखकों, गृहणियों, व्यापारियों आदि जो केन्द्रीय सरकार की राय में आम दर्शकों पर फिल्मों के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए योग्य होते हैं, को बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाता है।

(ख) श्री शक्ति सामंत को 4.9.92 से तीन वर्ष के लिए अवैतनिक आधार पर केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। बोर्ड के अन्य सदस्यों को 7.10.91 को नियुक्त किया गया था। बोर्ड के पुनर्गठन संबंधी कार्यवाही पहले ही आरंभ कर दी गई है।

(ग) से (ङ) बोर्ड में व्यक्तियों के नामांकन हेतु समय-समय पर माननीय संसद सदस्यों सहित विभिन्न स्रोतों से काफी सिफारिशें प्राप्त होती हैं। बोर्ड का पुनर्गठन करते समय इन सभी सुझावों को ध्यान में रखा जाता है। तथापि, बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति के मामले में आरक्षण संबंधी कोई प्रावधान नहीं है।

मध्य प्रदेश में दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्र

994. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्टूबर, 1994 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में कम शक्ति वाले और उच्च शक्ति वाले कितने ट्रांसमीटर और आकाशवाणी केन्द्र हैं ;